य उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
न अधिकारी:—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
नम्बर:—198/2018 प्रार्थना पत्र
बंशी लाल पिता मांगू नायक, उम्र बालिग निवासी गोविन्दसिंह का खेड़ा तहसील व जिला
वाड़ा (राजस्थान)
योगेश कुमार पिता भैरूलाल नायक, उम्र बालिग निवासी गोविन्दसिंह का खेड़ा तहसील व जिला
वाड़ा (राजस्थान)
जमनालाल पिता भैरूलाल नायक, उम्र बालिग निवासी गोविन्दसिंह का खेड़ा तहसील व जिला
वाड़ा (राजस्थान)

——————प्रार्थीगण

बनाम

चैनसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी गोविन्दसिंह का खेड़ा तहसील व जिला
लवाड़ा (राजस्थान)
भैरू पिता नंदा भील, उम्र बालिग निवासी गोविन्दसिंह का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
उगमा पिता नंदा भील, उम्र बालिग निवासी गोविन्दसिंह का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
कालू पिता नंदा भील, उम्र बालिग निवासी गोविन्दसिंह का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
विनोद पिता गोपाल लाल दरोगा, उम्र बालिग निवासी गोविन्दसिंह का खेड़ा तहसील व जिला
लवाड़ा (राजस्थान)
भंवरलाल पिता गोपाल लाल दरोगा, उम्र बालिग निवासी गोविन्दसिंह का खेड़ा तहसील व जिला
भीलवाड़ा (राजस्थान)

—————विपक्षीगण

————————

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांक:—16.01.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—स्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गोविन्दसिंह का खेड़ा पटवार हल्का दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1247/1 1 बीघा 2 बिस्वा, 1255/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 1257/1 रकबा 16 बिस्वा, 1258/1 रकबा घा 9 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा एवं 1247/2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 5/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 1257/2 रकबा 15 बिस्वा, 1228/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल 4 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात ड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण दिन सीमां संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.7.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये न विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल वली किये गये । विपक्षीगण उपस्थित नहीं । विपक्षीगण को कितनी ही मर्तबा विधिवत आवाजे ाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण 11.1.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये ने का आदेश दिया जाता हैं।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक का बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय,

अधिकारी

Scanned by CamScanner

काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने
वं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में
रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956
त स्वीकार किया जाकर ग्राम गोविन्दसिंह जी का खेड़ा पटवार हल्का दांथल तहसील व जिला
ड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1247/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1255/1 रकबा 1 बीघा 5
1257/1 रकबा 16 बिस्वा, 1258/1 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 4 बीघा 12
एवं 1247/2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 1255/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 1257/2 रकबा 15
1228/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि की सीमा
री के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये
लेख निरीक्षक, दांथल को 1000/–रूपये (एक हजार रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर
किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगणे मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर
गन् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार,
ड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 16.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में
गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner